

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
पॉइंट, के पर क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-06-2008 पूर्व प्राप्तान
योजनान्तरीत डाकव्यवस्था को पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंची, क्रमांक भोपाल फिल्मोवन
म. प्र. - 108 - भोपाल - 06 - 08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490:

भोपाल, नवलकाश, दिनांक 12 अगस्त 2008—ब्राह्मण 21, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2008

क्र. 5121-267-इकोन-स-(प्र.)—मध्यप्रदेश विधायी बधा का नियन्त्रित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 अगस्त 2008 को
महामहिम राजपत्र को अनुमति प्राप्त हो चुकी है। एवं इस उपराज्य प्राप्ति वालकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राजपत्र के नाम में नथ आदेशानुग्रह।
राजेन्द्र यादव, राज्यांचल

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३० मंट २००८,

इन्दीर स्पेशल इकाऊनामिक जोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन अधिनियम, २००८।

धारा-

विषय-मूल्यः

१. विधिवाल नामः
२. प्रोड्युग का नियोगनः
३. पूर्व राज्य का संशोधनः
४. परा १ का नियोगनः
५. परा २ का नियोगनः
६. परा ३ का संशोधनः

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २००८

इन्दीर स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन अधिनियम, २००८.

(दिनांक ८ अगस्त, २००८ को गणपत्याल वी अनुमति प्राप्त हुई, अनुबाहु "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १२ अगस्त, २००८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई)

इन्दीर स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (स्पेशल प्रोविजन्स) अधिनियम, २००३ को संशोधित करने हेतु अधिनियम,

भारत गणपत्याल के उपसंघवे शर्य में भव्यप्रदेश विधान-बंडल द्वारा निर्मालिति रूप में यह अधिनियमित हो;—

संहिता वाच

१. इस अधिनियम का संहिता नाम उन्दीर स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन अधिनियम, २००८ है।

प्रांदरण वा

२. इन्दीर स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (स्पेशल प्रोविजन्स) अधिनियम, २००३ (क्रमांक २३ सन् २००३) (जो इसमें इसके प्रशास्त्र मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रांदरण में, शब्द "इन्दीर स्पेशल इकॉनॉमिक जोन" के स्थान पर, शब्द "मध्यप्रदेश स्पेशल इकॉनॉमिक जोन" स्थापित किए जाएँ।

वृहत् शीर्ष का

३. मूल अधिनियम के वृहत् शीर्ष में, शब्द "इन्दीर विशेष आर्थिक विकास" के स्थान पर, शब्द "विशेष आर्थिक परिवेश" स्थापित किए जाएँ।

पाठ १ का संशोधन

४. मूल अधिनियम को धारा १ में,—

उपधारा (१) में, शब्द "इन्दीर स्पेशल इकॉनॉमिक जोन" के स्थान पर, शब्द "मध्यप्रदेश स्पेशल इकॉनॉमिक जोन" स्थापित किए जाएँ;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "इन्दीर विशेष आर्थिक परिवेश" के स्थान पर, शब्द "सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य" स्थापित किए जाएँ।

धारा २ का संशोधन

५. मूल अधिनियम को धारा २ में,—

(एक) छण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नालिखित वर्वीन छण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्;—

"(ग) "सह विकासकर्ता" का वही अर्थ होगा, जो स्पेशल इकॉनॉमिक जोन एकट, २००५ (२००५ का ३८) में उसके लिए दिया गया है";

(दो) छण्ड (द), (च) और (छ) के स्थान पर, निम्नालिखित वर्वीन छण्ड क्रमशः स्थापित किए, अर्थात्;—

"(द) "विकास आयुक्त" से अधिष्ठेत है, स्पेशल इकॉनॉमिक जोन एकट, २००५ (२००५ का ३८) को धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन एक वा अधिक विशेष आर्थिक परिवेशों के लिए नियुक्त किया गया विकास आयुक्त;

(च) "विकासकर्ता" का वही अर्थ होगा जो स्पेशल इकॉनॉमिक जोन एकट, २००५ (२००५ का ३८) में उसके लिए दिया गया है;

(३) "भोलू टैरिफ क्षेत्र (डोमेस्टिक टैरिफ इरिया)" का यही अर्थ होगा जो स्पेशल इकॉनॉमिक जोन्स एक्ट, २००६ (२००६ का २८) में उसके लिए दिया गया है;

(तीन) खण्ड (३) में, शब्द "इन्डीर" का सौप किया जाए.

६. मूल अधिनियम की भाग १३ को उपचारा (१) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए, भाग १३ का अधीन—

"स्पष्टीकरण—(१) "निर्यात किया गया माल" से अधिग्रह है—

(एक) भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किसी परिषेत्र से भारत के बाहर निर्यात किया गया माल; या

(दो) भोलू टैरिफ क्षेत्र से परिषेत्र में किसी इकाई को प्रदाय किया गया माल; या

(तीन) किसी परिषेत्र की इकाई द्वारा उसी परिषेत्र को किसी अन्य इकाई को या किसी अन्य परिषेत्र को प्रदाय किया गया माल;

(२) "आयात किया गया माल" से अधिग्रह है—

(एक) परिषेत्र की इकाई द्वारा भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा, भारत के बाहर से लाया गया माल; या

(दो) परिषेत्र की इकाई द्वारा उसी परिषेत्र या किसी अन्य परिषेत्र की इकाई से लाया गया माल।"

भोलू, दिनांक 12 अगस्त 2008

क्र. 5132-267-इको-अ (प्र.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, "इन्डीर स्पेशल इकॉनॉमिक जोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन अधिनियम, 2008 (क्रांतिक 20 सन् 2008)" का अंतिमी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से लघा आदेशानुसार,

राजेश यादव, उपसचिव

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 of 2008

THE INDORE SPECIAL ECONOMIC ZONE (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT ACT, 2008

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title;
2. Amendment of citation;
3. Amendment of long title;
4. Amendment of Section 1;
5. Amendment of Section 2;
6. Amendment of Section 13.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 of 2008

THE INDORE SPECIAL ECONOMIC ZONE (SPECIAL PROVISIONS) AMENDMENT ACT, 2008

[Received the assent of the Governor on the 8th August, 2008; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th August, 2008.]

An Act to amend the Indore Special Economic Zone (Special Provisions) Act, 2003.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Indore Special Economic Zone (Special Provisions) Amendment Act, 2008.

Amendment of citation.

2. In the citation of the Indore Special Economic Zone (Special Provisions) Act, 2003 (No. 23 of 2003) (hereinafter referred to as the principal Act), for the words "Indore Special Economic Zone", the words "Madhya Pradesh Special Economic Zones" shall be substituted.

Amendment of long title.

3. In the long title of the principal Act, for the words "Indore Special Economic Zone", the words "Special Economic Zones" shall be substituted.

Amendment of Section 1.

4. In section 1 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), for the words "Indore Special Economic Zone", the words "Madhya Pradesh Special Economic Zones" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "Indore Special Economic Zone", the words "whole of the State of Madhya Pradesh" shall be substituted.

5. In Section 2 of the principal Act,—

(i) for clause (c), the following new clause shall be substituted, namely :—

"(c) "Co-Developer" shall have the same meaning as assigned to it in the Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 of 2005);";

(ii) for clauses (e), (f) and (g), the following new clauses shall respectively be substituted, namely :—

"(e) "Development Commissioner" means the Development Commissioner appointed for one or more Special Economic Zones under sub-section (1) of Section 11 of the Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 of 2005);

(f) "Developer" shall have the same meaning as assigned to it in the Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 of 2005);

(g) "Domestic Tariff Area" shall have the same meaning as assigned to it in the Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 of 2005);";

(iii) in clause (m), the word "Indore" shall be omitted.

6. After sub-section (1) of Section 13 of the principal Act, the following explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation.—(1) "goods exported" shall mean—

(i) goods taken out from any Zone by land, sea or air and exported out of India; or

(ii) goods supplied from Domestic, Tariff Area to any unit in the Zone; or

(iii) goods supplied by a unit in a Zone to another unit of the same Zone or any other Zone.

(2) "goods imported" shall mean—

(i) goods brought from out of India by a unit in a Zone by land, sea or air; or

(ii) goods brought by a unit in a Zone from another unit in the same or any other Zone."